न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 53/2016

अपीलांट

1. भंवरलाल पुत्र वालाराम जी
2. चैनाराम पुत्र वालारामजी जातिगण घांची निवासीगण चाटेलाव तहसील रोहट।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. पुकाराम पुत्र नेनारामजी
2. थानाराम पुत्र नेनारामजी
3. रूपाराम पुत्र नेनारामजी जातिगण सीरवी निवासीगण चाटेलाव तहसील रोहट
4. तहसीलदार महोदय, रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री महेन्द्र ओझा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 576/16 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्याय आपके द्वारा ग्राम बिठू में एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 209 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी ग्राम चाटेलाव के खसरा नंबर 202/1 में से रास्ते प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एक ही दिन में प्रकरण पेश होना, उसी दिन प्रकरण को दर्ज करना, उसी दिन विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी करना, उसी दिन तामिल कुनिन्दा से नोटिस की तामीली करवाना, उसी दिन भूअभिलेख से मौका रिर्पोट मंगवाना एवं उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि विधिक रूप से संभव नही हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस जारी किया गया उस पर अपीलांट को किस स्थान पर उपस्थित

होना है कही पर भी अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया है। नोटिस की पुश्त पर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के मौतबीर के रूप मे हस्ताक्षर हैं जिससे यह स्पष्ट है सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पोडेन्ट ने मिलावट कर अवैध रूप से करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के नोटिस विधिवत तामिल करवाये बिना जानबूझकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्याय आपके द्वारा ग्राम बिठू में एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 209 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी ग्राम चाटेलाव के खसरा नंबर 202/1 में से रास्ते प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपीलांटगण को नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस अपीलांटगण द्वारा लेने से मना करने की रिर्पोट के साथ प्राप्त हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया हैं। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्याय आपके द्वारा ग्राम बिठू में एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 209 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी ग्राम चाटेलाव के खसरा नंबर 202/1 में से रास्ते प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.06.2016 को धारा 251 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। जो कि न्याय आपके द्वार कैम्प ग्राम पंचायत बिठू में प्रस्तुत किया गया। जिसे पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन अपीलांटगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किया गया। जो नोटिस अपीलांटगण द्वारा लेने से मना करने की रिर्पोट के साथ प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जारी नोटिस में उपखंड अधिकारी कार्यालय रोहट उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये, जबकि कैम्प ग्राम पंचायत बिठू में नियत था। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण के नोटिस की पुश्त पर पेमाराम एवं रूपाराम के हस्ताक्षर है किन्तु यह अंकन नही है कि उक्त दोनो अपीलांट से क्या संबध है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना विधिवत नोटिस तामिल करवाये, विधिक प्रक्रिया की पालना किये आनन–फानन में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में समर्थन योग्य प्रतीत नहीं होता है

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 576/16 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 अपास्त किया जाकर इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली